दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

रि.या.(सि.) 40/2014 और सि.वि. सं. 66/2014

निर्णय की तिथि: 6 जनवरी, 2014

उमेश दत्त शर्मा ..... याचिकाकर्ता

द्वारा : श्री आर.डी.चौहान और श्री.अरुण के.चौहान और श्री एम.एस.नेगी, अधिवक्तागण।

बनाम

भारत संघ व अन्य ..... प्रत्यर्थीगण

द्वारा : श्री आर.एन.सिंह और श्री ए.एस.सिंह, प्र.-1 और प्र.-2 हेतु अधिवक्तागण।

कोरमः
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री गीता मित्तल
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री दीपा शर्मा

<u>न्या. गीता मित्तल, (मौखिक)</u>

1. वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता ने केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा पारित दिनांक 24 नवम्बर, 2011 के आदेश, जिसमें मू.आ. सं. 2995/2010 को खारिज कर दिया गया था, के साथ ही दिनांक 27 फरवरी, 2012 के

आदेश को भी चुनौती दी है, जिसके अंतर्गत पुनर्विलोकन आवेदन सं. 59/2012 को खारिज कर दिया गया था।

2. याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी द्वारा दिनांक 7 जनवरी, 2010 को अधिसूचित जेई-II (25% एलडीसीई कोटा) के पद के लिए उसका चयन न किए जाने पर आपत्ति जताई है।

याचिकाकर्ता ने दिनांक 15 जून, 2010 को लिखित परीक्षा दी थी। दिनांक 13 जुलाई, 2010 को घोषित परिणाम में उसे प्रतिभाशाली नहीं पाया गया। यद्यपि, प्रत्यर्थीगण ने याचिकाकर्ता के दिनांक 19 जुलाई, 2010 के अभ्यावेदन पर सकारात्मक रूप से विचार किया और दिनांक 21 जुलाई, 2010 के पत्र द्वारा चयन सूची को सही किया, जिसके अंतर्गत याचिकाकर्ता का नाम उन अभ्यर्थियों की सूची में शामिल किया गया, जो लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे। प्रत्यर्थीगण ने घोषित किया कि सम्मिलित किया जाना चयन की कोटि में नहीं है।

दिनांक 27 जुलाई, 2010 को जारी अंतिम चयन सूची में याचिकाकर्ता के अलावा तीन व्यक्तियों को सफल घोषित किया गया।

3. इस चयन सूची को याचिकाकर्ता ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष मू.आ. सं.2955/2010 के अंतर्गत इस आधार पर चुनौती दी थी कि उसके पास रेल परिवहन और प्रबंधन में डिप्लोमा के साथ-साथ इलेक्ट्रिकल

इंजीनियरिंग में डिप्लोमा (प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण) अतिरिक्त योग्यता के रूप में था। इन प्रमाणपत्रों के आधार पर, याचिकाकर्ता ने दावा किया कि वह परिपत्र आरबीई सं.55/86 के अनुसार "व्यक्तित्व पता, नेतृत्व और शैक्षणिक/तकनीकी अर्हता" शीर्षक के अंतर्गत अतिरिक्त 20 अंक पाने का हकदार था। याचिकाकर्ता ने आरबीई सं.55/86 के निम्नलिखित अंश पर निर्भरता व्यक्त की:

> "ग्रुप सी में चयन पद पर पदोन्नति के लिए आयोजित चयनों के मामले में रेलवे कर्मचारियों द्वारा रेल परिवहन संस्थान से प्राप्त डिप्लोमा को महत्व देने का प्रश्न कुछ समय से बोर्ड के विचाराधीन है। मौजूदा नियमों के अनुसार, चयन के रूप में वर्गीकृत पदों पर पदोन्नति के लिए एक रेलवे कर्मचारी का चयन विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत उसके द्वारा प्राप्त अंकों पर निर्भर करता है जिनमें से एक व्यक्तित्व, पता, नेतृत्व और शैक्षणिक/तकनीकी अर्हता है, जिसके लिए 20% अंक आवंटित किए गए हैं। अब यह निर्णय लिया गया है कि चयन पदों पर पदोन्नति के लिए चयन के संबंध में, "व्यक्तित्व, पता, नेतृत्व और शैक्षणिक/तकनीकी अर्हता" शीर्षक के अंतर्गत अंक प्रदान करते समय किसी भी अन्य तकनीकी/शैक्षणिक अर्हता के साथ-साथ रेल परिवहन संस्थान के डिप्लोमा को भी ध्यान में रखा जाएगा।"

4. प्रत्यर्थीगण ने याचिकाकर्ता के दावे का विरोध करते हुए कहा कि छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के बाद ग्रेडों का विलय किया गया और गैर-राजपत्रित पदों को भरने के लिए पुनरीक्षित वर्गीकरण और तरीका अपनाया

गया। यह बताया गया कि जेई-II का पद दिनांक 31 अगस्त, 2009 को मौजूद रिक्तियों को भरने के लिए एसआई. नं.18 के अंतर्गत आता है। पद पर चयन करने की प्रक्रिया को "चयन" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। रेलवे बोर्ड के दिनांक 22 मार्च, 2006 के पत्र के अनुसार, "व्यक्तित्व पता, नेतृत्व और शैक्षणिक/तकनीकी अर्हता" शीर्षक हटा दिया गया है। दिनांक 22 मार्च, 2006 के निर्देश में निम्नलिखित लिखा है:

> "रेल मंत्रालय ने इस मामले पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। चयन प्रक्रिया से "व्यक्तित्व पता, नेतृत्व और शैक्षणिक/तकनीकी अर्हता" शीर्षक को पूर्ण रूप से हटाने का निर्णय लिया गया है।"

5. प्रत्यर्थीगण द्वारा अपनाई गई चयन योजना में कहा गया है कि 50 अंक पेशेवर योग्यता के लिए और 30 अंक सेवा रिकॉर्ड के लिए दिए जाते हैं। प्रत्यर्थीगण ने प्रस्तुत किया है कि चयन दिनांक 7 जनवरी, 2010 की अधिसूचना में उल्लिखित नियमों के अनुसार किया गया था।

6. उपरोक्त निर्देशों को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता को डिप्लोमा के आधार पर किसी अतिरिक्त लाभ का हकदार नहीं माना जा सकता, जिसका वह अतिरिक्त योग्यता के रूप में दावा करता है। याचिकाकर्ता ने अधिकरण के समक्ष कोई अन्य आधार नहीं रखा।

ये वे कारण हैं जिन्हें अधिकरण ने दिनांक 24 नवंबर, 2011 के आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता के दावे को अस्वीकार करते समय ध्यान में रखा है।

7. दिनांक 27 फरवरी, 2012 के आदेश द्वारा पुनर्विलोकन आवेदन को अस्वीकार करना रेलवे बोर्ड के दिनांक 22 मार्च, 2006 के पत्र में निहित उपरोक्त निर्देशों पर आधारित था। यह एकमात्र बिंदु था जिस पर आवेदन के समर्थन में जोर दिया गया था।

8. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता अपनी अर्हताओं के आधार पर किसी भी अतिरिक्त लाभ का हकदार नहीं था। इसलिए प्रत्यर्थीगण की कार्रवाई या दिनांक 24 नवंबर, 2011 के आक्षेपित आदेशों के साथ-साथ दिनांक 27 फरवरी, 2012 के आदेशों को किसी भी विधिक रूप से उचित आधार पर गलत नहीं ठहराया जा सकता।

9. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह बताया गया कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 24 नवम्बर, 2011 और दिनांक 27 फरवरी, 2012 के आदेशों को चुनौती देते हुए वर्ष 2012 में एक पूर्वतर रिट याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका में पूर्वतर रिट याचिका दायर करने के तथ्य तथा उसके प्रारब्ध को छुपाया है।

10. इन सभी कारणों से, हमें रिट याचिका और आवेदन में कोई गुणागुण नहीं दिखते। रिट याचिका और आवेदन को खारिज किया जाता है।

न्या. गीता मित्तल,

न्या. दीपा शर्मा,

जनवरी 06,2014
आरबी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*